[2019] 5 एस. सी. आर 61

आधुनिक परिवहन परामर्श सेवाएँ

पीवीटी। लिमिटेड। & एएनआर।

वी.

केंद्रीय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कर्मचारी

प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन एंड ओआरएस।

(2009 की सिविल अपील सं. 7698)

26 मार्च, 2019

[अभय मनोहर सेप्रे और

दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान

अधिनियम, 1952:

अपने भविष्य में पूरी राशि सहित सभी सेवानिवृत्ति लाभ निधि खाता-प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुचर आधार पर पुनः नियोजित

कंपनी-चाहे वह भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आती हो या थी

योजना के पैरा 2 (च) के संदर्भ में 'बहिष्कृत कर्मचारियों' के रूप में माना जाना-आयोजितः 'बहिष्कृत' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने के लिए

कर्मचारी 'पैरा 2 (च) आर/डब्ल्यू के खंड (i) के आधार पर। पैरा 69 (1) के खंड (ए) के अनुसार कर्मचारी ऐसा होना चाहिए जो निधि का सदस्य हो। भविष्य निधि योजना के तहत स्थापित और वापस ले लिया था

सेवानिवृत्ति पर उक्त निधि में उनके संचय की पूरी राशि-तब से विचाराधीन कर्मचारी निधि के सदस्य नहीं थे

योजना के तहत स्थापित, उन्हें इस रूप में नहीं माना जा सकता था

' बहिष्कृत कर्मचारी '।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. के अधिनियमन में अंतर्निहित अवधारणा

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम,

1952 अनिवार्य अंशदायी भविष्य निधि का प्रावधान किया गया था

औद्योगिक श्रमिकों के भविष्य की रक्षा के लिए धन। एक कोष के निर्माण के लिए अधिनियम में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं,

केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजना के अनुसार निपटान किया जाए। तथापि, अधिनियम में इसे जारी रखने का भी प्रावधान है - ऐसी अन्य भविष्य निधि, जो समान या

संबंधित कर्मचारियों के लिए अधिक लाभप्रद शर्तें और कुशलता से काम कर रहे हैं। [पैरा 9.1] [75-एफ-एच] 2. 1952 के अधिनियम में "बहिष्कृत कर्मचारी" की कोई परिभाषा नहीं है। वास्तव में, यह अभिव्यक्ति संचालन में आती है

1952 की योजना के तहत बनाए गए कोष में शामिल होने के लिए कुछ कर्मचारियों को मजबूरी से बाहर करने का उद्देश्य। इसलिए, इस अभिव्यक्ति को केवल 1952 की योजना में, उसके पैराग्राफ 2 के खंड (च) में परिभाषित किया गया है। [पैरा 9.2। 1] [79 - ई-एफ]

3. 1952 की योजना के पैराग्राफ 26 में उन कर्मचारियों के वर्गों को निर्दिष्ट किया गया है जो कोष में शामिल होने के हकदार हैं और जिनकी आवश्यकता भी है।

सह-संबंधित पहलू। पैराग्राफ 26 में "फंड" शब्द 1952 की योजना के तहत बनाए गए फंड को संदर्भित करता है। 1952 के अधिनियम की योजना और संरचना में, यह स्पष्ट है कि निर्दिष्ट प्रतिष्ठानों या वर्गों के लिए -

प्रतिष्ठानों, केंद्र सरकार को एक योजना तैयार करनी थी, जिसे "कर्मचारी भविष्य निधि योजना" कहा जाना था; और ऐसी योजना तैयार करने के तुरंत बाद, एक निधि की स्थापना की जानी थी, जिसे धारा 5 ए के तहत गठित बोर्ड में निहित और उसके द्वारा प्रशासित किया जाना था। "निधि" शब्द को 1952 के अधिनियम में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक योजना के तहत स्थापित भविष्य निधि और "योजना" शब्द का अर्थ है कर्मचारी।

धारा 5 के तहत भविष्य निधि योजना बनाई गई है। निर्विवाद रूप से,

1952 की योजना केंद्र सरकार द्वारा धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाई गई है। [पैरा 9.2। 2 और 11] [80-डी; 85-सी-ई]

4. धारा 17 की उप-धारा (1) के आधार पर किसी प्रतिष्ठान को सभी के संचालन से छूट दी जा सकती है या किसी भी योजना के प्रावधानों में से कोई भी यदिः (क) उस प्रतिष्ठान के संबंध में जिसके लिए अधिनियम लागू होता है, उपयुक्त

सरकार की राय है कि योगदान की दरों के संबंध में उसकी भविष्य निधि के नियम धारा 6 में निर्दिष्ट नियमों की तुलना में कर्मचारियों के लिए कम अनुकूल नहीं हैं और कर्मचारी अन्य भविष्य निधि लाभों का आनंद ले रहे हैं। जो, कुल मिलाकर, किसी भी मामले में अधिनियम के तहत या योजना के तहत उपलब्ध लाभों से कम अनुकूल नहीं हैं।

समान चरित्र की अन्य स्थापना; और (ख) किसी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में, उपयुक्त सरकार की राय है आधुनिक परिवहन परामर्श सेवाएँ।

लिमिटेड। वी. सी. पी. एफ. कम. एन. आर. E.P.F.O।

जो भविष्य निधि, पेंशन या उपदान की प्रकृति में लाभ देता है, जैसा कि ऐसे प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, कुल मिलाकर, अधिनियम या किसी समान चरित्र के किसी अन्य प्रतिष्ठान में किसी भी योजना के तहत प्रदान किए गए लाभों से कम अनुकूल नहीं हैं। [पैरा 12] [85-एफ-एच; 86-ए]

छूट। धारा 17 की उप-धारा (2) के अनुसार, योजना भी छूट का प्रावधान कर सकती है लेकिन बुनियादी आवश्यकता फिर से व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग होने के लिए

छूट प्राप्त लोग ऐसे लाभों के हकदार हैं जो कुल मिलाकर अधिनियम और उसके तहत योजना यानी 1952 की योजना के तहत प्रदान किए गए लाभों से कम अनुकूल नहीं हैं। इन सभी

धारा 17 की आवश्यकताएं निस्संदेह स्थिति को स्पष्ट करती हैं कि प्रावधानों का उद्देश्य कर्मचारियों के लिए इष्टतम लाभ सुनिश्चित करना है और यहां तक कि छूट केवल उपयुक्त सरकार के अस्तित्व के बारे में संतुष्टि पर दी जाती है।

संबंधित कर्मचारी। [पैरा 12.1] [86-बी-ई] 6. इस योजना के प्रावधान आम तौर पर अधिनियम की धारा 16 और 17 के प्रावधानों के अधीन सभी कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू किए जाते हैं, जिनके लिए

अधिनियम धारा 1 की उप-धारा (3) और (4) के तहत या अधिनियम की धारा 3 के तहत लागू होता है या लागू होता है। 1952 की योजना के प्रावधानों को पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (3) के खंड (बी) के तहत समय-समय पर विभिन्न प्रतिष्ठानों में विस्तारित किया गया है। वहाँ से। 1952 की योजना के पैराग्राफ 26 के अनुसार, योजना के कार्य में या उसके संबंध में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी

कारखाना या अन्य प्रतिष्ठान जिस पर यह योजना लागू होती है, उस कारखाने या [2019] 5 एस. सी. आर. के लिए योजना लागू होने की तारीख से निधि का सदस्य बनने का हकदार है और बाध्य है।

"बहिष्कृत कर्मचारियों" को छोड़कर प्रतिष्ठान। उल्लेखनीय है कि,

पैराग्राफ 69 (1)। 1952 की योजना के पैराग्राफ 69 (1) का खंड (ए) एक ऐसे सदस्य को संदर्भित करता है जो पूरी राशि निकाल लेगा। 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्ति पर निधि में अपने क्रेडिट पर खड़े होना। पैराग्राफ 69 (1) के विभिन्न खंडों पर एक व्यापक नज़र डालने से यह स्पष्ट होता है कि इसमें निधि के एक सदस्य का उल्लेख है जो नियमित सेवानिवृत्ति; विकलांगता या अक्षमता के लिए सेवानिवृत्ति; देश से पलायन; सेवा की समाप्ति; स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना स्वीकार करना; कारखाने को बंद करना; किसी कवर किए गए कारखाने या प्रतिष्ठान से किसी अन्य कारखाने या प्रतिष्ठान में स्थानांतरण जो अधिनियम के तहत नहीं आता है आदि जैसी विभिन्न घटनाओं के लिए अपने क्रेडिट में खड़ी पूरी राशि निकालता है। [पैरा 13.1] [87-सी-डी, ई-एफ]

8. 1952 के अधिनियम की स्थापना और संरचना में, निधि के बीच विशिष्ट अंतर बनाए रखा जाता है, जिसे

अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत केंद्र सरकार और कोई अन्य भविष्य निधि, जो किसी नियोक्ता द्वारा बनाई जाती है।

उल्लेखनीय है कि 1952 की योजना के अनुच्छेद 2 का खंड (च) संदर्भित करता है।

"कोष" के लिए और "किसी भी कोष" के लिए नहीं; और पैराग्राफ 26 और 69 भी "कोष" का उल्लेख करते हैं न कि "किसी भी कोष" के लिए। निर्धारक "द", जैसा कि अनुच्छेद 2 (च) में और "निधि" अभिव्यक्ति से पहले अनुच्छेद 69 में भी होता है, यह स्पष्ट करता है कि उसमें संदर्भ केवल उस निधि के लिए है जो 1952 की योजना के तहत बनाई गई है और यह किसी भी निधि का सामान्य संदर्भ नहीं है। पैराग्राफ 26 के तहत फंड में शामिल होने की आवश्यकता उस फंड में शामिल होने की भी है जो 1952 की योजना के तहत बनाया गया है। दूसरे शब्दों में, स्पष्ट रूप से और निस्संदेह, 1952 की योजना के पैराग्राफ 2 (एफ), 26 और 69 में निर्दिष्ट निधि वह निधि है, जिसे 1952 की योजना के तहत बनाया गया है और इसका संदर्भ किसी अन्य आधुनिक परिवहन परामर्श सेवाओं के लिए नहीं है।

लिमिटेड। वी. सी. पी. एफ. कम. एन. आर. E.P.F.O।

कोष. इस प्रकार, "बहिष्कृत" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने के लिए

कर्मचारी "पैराग्राफ 69 (1) के खंड (ए) के साथ पठित पैराग्राफ 2 (एफ) के खंड (आई) के आधार पर, कर्मचारी ऐसा होना चाहिए जो 1952 की योजना के तहत स्थापित निधि का सदस्य था और जिसने 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्ति पर उक्त निधि में अपनी जमा राशि की पूरी राशि निकाल ली थी। [पैरा 14.1] [88-बी-ई]

9. इसलिए, जिन सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों ने सामान्य भविष्य निधि या किसी अन्य निधि जिसमें वे सदस्य थे, में अपने संचय को वापस ले लिया था, उन्हें 1952 की योजना के उद्देश्य के लिए "बहिष्कृत कर्मचारी" के रूप में नहीं माना जा सकता था क्योंकि इस तरह की निकासी 1952 की योजना के तहत स्थापित निधि से नहीं की गई थी। वास्तव में, उनके लिए 1952 की योजना के तहत स्थापित निधि से कोई निकासी करने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि वे कभी भी उक्त निधि के सदस्य नहीं थे। दूसरे शब्दों में, विचाराधीन कर्मचारी 1952 की योजना के अनुच्छेद 69 (1) के खंड (ए) के साथ पठित अनुच्छेद 2 (एफ) के खंड (आई) की आवश्यकताओं का जवाब नहीं दे रहे थे और इसलिए, "बहिष्कृत कर्मचारी" नहीं थे। [पैरा 14.2] [88-एफ-एच; 89-ए]

10. अधिनियम के प्रावधान और 1952 की योजना की शर्तें चरित्र और अनुप्रयोग में अनिवार्य हैं।

अपीलार्थियों या उक्त कर्मचारियों द्वारा इसमें उल्लिखित कुछ संभावनाओं को छोड़कर इसे टाला नहीं जा सकता था।

अधिनियम की धारा 17 और 1952 की योजना का अनुच्छेद 26 भी। वर्तमान मामले में ऐसी संभावनाएं वास्तव में मौजूद नहीं हैं। जहां तक आयु से संबंधित पहलू का संबंध है, कर्मचारी की किसी भी आयु सीमा के संदर्भ में अधिनियम और 1952 की योजना का संचालन और प्रभाव प्रतिबंधित नहीं है। कर्मचारियों की उम्र से संबंधित इस तरह का सुझाव पूरी तरह से निराधार था और इसे अस्वीकार कर दिया गया है। [पैरा 15] [89-सी-डी]

11. जहाँ तक अपीलार्थियों की याचिका है कि उन्होंने छूट के लिए आवेदन किया था और उनके प्रतिनिधित्व पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था

यह ध्यान दिया जाता है कि अपीलार्थी ने ऐसा कोई निवेदन नहीं किया था कि उनके पास अपने कर्मचारियों के लिए कोई बेहतर और लाभकारी योजना थी। किसी भी मामले में, कोई अवधारणा नहीं है

नियोक्ता द्वारा योगदान के भुगतान में केवल [2019] 5 एस. सी. आर.

छूट के लिए आवेदन करना; और जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 17 के तहत छूट का कोई आदेश नहीं था, तो अपीलकर्ता-कंपनी अपने योगदान का भुगतान करने के लिए दायित्व के अधीन थी। [पैरा 15.1] [89-ई-एफ]

12. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश की टिप्पणियाँ

1952 की योजना के अनुच्छेद 2 (च) का खंड (i) किसी भी भविष्य निधि से निकासी के संबंध में लागू किया जाना है।

और अन्यथा, एक कर्मचारी क्रमिक रूप से लाभ प्राप्त करना जारी रख सकता है, बल्कि अनुचित बना रह सकता है क्योंकि अधिनियम और 1952 की योजना में अंतर्निहित सिद्धांत कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। योजना से बहिष्करण की अवधारणा

1952 केवल पैराग्राफ 2 (एफ) में उल्लिखित कर्मचारियों के वर्ग/ईएस तक सीमित है और इस बहिष्करण खंड के संचालन के क्षेत्र को किसी कर्मचारी द्वारा कथित अतिरिक्त लाभ के बारे में एक धारणा के माध्यम से विस्तारित नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, एकल न्यायाधीश की धारणा भी अधिनियम और 1952 की योजना के ढांचे में उपयुक्त नहीं लगती है। 1952 के अधिनियम के आधार पर एक कर्मचारी को जो कुछ भी मिलता है, वह मूल रूप से

उसके भविष्य निधि खाते में जमा, जहाँ वह और उसका नियोक्ता योगदान करते हैं। एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों पर आधारित होने के कारण, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। [पैरा 16] [89-जी-एच; 90-ए-डी]

13. 1952 की योजना की रूपरेखा और स्थापना, अवधारणा स्पष्ट और स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति 1952 की योजना के तहत उसके तहत बनाई गई निधि का सदस्य है और उसमें अपनी सारी जमा राशि निकालता है, तो वह 1952 की योजना के तहत फिर से उसी निधि का सदस्य होने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है और उसे "बहिष्कृत कर्मचारी" के रूप में माना जा सकता है। हालांकि, ऐसे कर्मचारी के संबंध में दी गई छूट नहीं है जो पहले किसी अन्य कोष का सदस्य था, लेकिन बाद में ऐसे प्रतिष्ठान में शामिल हो जाता है जहां वह 1952 की योजना के तहत बनाए गए कोष की सदस्यता का हकदार होगा। प्रावधानों और शर्तों की यह रूपरेखा कर्मचारियों को निरंतर वित्तीय सुविधा प्रदान करते हुए उनके हितों की सर्वोत्तम सेवा करती प्रतीत होती है।

सुरक्षा।

[पैरा 17] [90-ई-जी] आधुनिक परिवहन परामर्श सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. सी. पी. एफ. कम. एन. आर. E.P.F.O।

एन. के. जैन और अन्य। वी. सी. के. शाह और अन्य। (1991) 2 एससीसी

495 : [1991] 1 एस. सी. आर. 938-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1991] 1 एससीआर 938

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.7698

2009 .

उच्च न्यायालय के दिनांकित 07.05.2008 के विवादित आदेश से

2007 के एफ. एम. ए. No.537 में कलकत्ता।

अबनी कुमार साहू, घनश्याम, पी. के. मनोहर, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

सुश्री विभा दत्ता मखीजा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अमित शर्मा, बी. के. सतीजा

राज बहादुर यादव, अरुण यादव (श्रीमती अनिल कटियार के लिए), विष्णु शर्मा, शर्मा, सुश्री रंगोली सेठ, वरुण अग्रवाल, चंद्र

प्रकाश, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे. 1. विशेष अनुमति द्वारा इस अपील में,

अपीलार्थियों (रिट याचिकाकर्ताओं) ने 2007 के एफ. एम. ए. संख्या 537 में दिनांकित 07.05.2008 के निर्णय और आदेश पर सवाल उठाया है, जिसके तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांकित 07.04.2006 के आदेश को उलट दिया है, जैसा कि 2005 के डब्ल्यू. पी. संख्या 2982 (डब्ल्यू) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया था।

1.1 . उपरोक्त आदेश दिनांक 07.04.2006 के अनुसार, विद्वान एकल

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को उनकी इस दलील को बरकरार रखते हुए स्वीकार कर लिया कि रेलवे के कर्मचारी, जिन्होंने सेवानिवृत्त होते समय भविष्य निधि की पूरी राशि निकाल ली थी और जिन्होंने

उनके द्वारा एकमुश्त मानदेय के आधार पर नियुक्त किए गए थे, उनका इलाज किया जाना चाहिए कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (इसके बाद संदर्भित) के उद्देश्य के लिए "बहिष्कृत कर्मचारियों" के रूप में

'अधिनियम'/'1952 का अधिनियम') और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (इसके बाद '1952 की योजना' के रूप में संदर्भित)। हालांकि, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश से पूरी तरह से असहमति जताई और रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उक्त कर्मचारी, जो एक छूट प्राप्त नियोक्ता की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए, वे [2019] 5 एस. सी. आर. नहीं करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. इस अपील में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाला मूल प्रश्न यह है कि क्या रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिन्होंने सभी को वापस ले लिया था सेवानिवृत्ति लाभों को, उनके भविष्य निधि खातों में जमा की पूरी राशि सहित, 1952 की योजना के पैराग्राफ 2 (एफ) के संदर्भ में "बहिष्कृत कर्मचारियों" के रूप में माना जाना है। यदि रेलवे के उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को "बहिष्कृत कर्मचारियों" के रूप में माना जाना है, तो अपीलकर्ताओं द्वारा फिर से नियुक्त किए जाने पर, 1952 की उक्त योजना के तहत बनाए गए कोष में शामिल होने की आवश्यकता नहीं हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता उस संबंध में कोई योगदान करने के लिए बाध्य नहीं हो सकते हैं।

3. उपरोक्त प्रश्न की ओर ले जाने वाले प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलू बहुत विवादास्पद नहीं हैं और इन्हें संक्षेप में इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता हैः 3.1 . अपीलार्थी नं. 1, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रत्यर्थी नं. 1 की कैप्टिव रेलवे प्रणाली के संचालन में लगी हुई थी।

4 - दामोदर घाटी निगम ('डीवीसी')। अपीलार्थी नं. 2 को अपीलार्थी नं. 1-कंपनी का निदेशक कहा जाता है। अपीलार्थी प्रस्तुत करेंगे कि डी. वी. सी. के साथ उनका एकमात्र संबंध रेलवे-रोड पर केबिनों और फाटकों को चलाने के लिए कर्मियों की आपूर्ति करने का अनुबंध था और वे उपरोक्त आपूर्ति के लिए पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे थे। कर्मचारी, जो भारतीय रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी थे और एकमुश्त मानदेय के आधार पर कार्यरत थे।

3.2 . सहायक भविष्य निधि आयुक्त सर्कल-IV, कलकत्ता ने अपने दिनांकित 18.02.2002 के पत्र द्वारा अपीलार्थी-कंपनी को सूचित किया कि

मई, 1999 के महीने में अपने प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की संख्या अट्ठाईस होने के कारण, यह प्रतिष्ठान 1952 के अधिनियम के दायरे में आया, जो 01.05.1999 से प्रभावी हुआ। जवाब में, अपीलकर्ता-कंपनी के निदेशक ने अपने दिनांक 1 दिनांकित पत्र में कहा कि कंपनी द्वारा नियुक्त सभी व्यक्ति, उनमें से दो को छोड़कर, 58 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी थे; कि वे सभी केवल अनुचर आधार पर काम कर रहे थे; और वे कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत शामिल नहीं थे। उक्त सहायक भविष्य निधि

आयुक्त ने 1952 की योजना के अनुच्छेद 26 का उल्लेख करते हुए अपीलकर्ताओं की दलीलों का खंडन किया और अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि 1952 के अधिनियम के तहत आने वाले प्रतिष्ठान में शामिल होने की तारीख से 1952 की योजना के सदस्य के रूप में नामांकन के लिए एक कर्मचारी पात्र है; कि आधुनिक परिवहन परामर्श सेवाएँ पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. सी. पी. एफ. कम. एन. आर. E.P.F.O। [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

1952 की योजना का सदस्य बनने के लिए किसी कर्मचारी के लिए कोई आयु सीमा नहीं थी और 1952 की योजना के संदर्भ में विचाराधीन कर्मचारियों को बाहर नहीं रखा गया था।

रेलवे के कर्मचारी, 1952 के अधिनियम के दायरे में नहीं आते थे और उन्हें 1952 की योजना के पैराग्राफ 26 के तहत "बहिष्कृत कर्मचारी" के रूप में माना जाना था। यह कहा गया था कि ये कर्मचारी, रेलवे की सेवा में रहते हुए, 1952 की योजना के तहत शामिल नहीं थे, बल्कि सामान्य भविष्य निधि ('जी. पी. एफ.') योजना के तहत शामिल थे और उन्होंने भविष्य निधि सहित सभी सेवानिवृत्ति लाभों को वापस ले लिया था निधि ('पी. एफ.') और पेंशन और इसलिए, वे 1952 के अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते थे। यह भी दावा किया गया कि इन कर्मचारियों को 1952 की योजना के तहत उपलब्ध लाभों की तुलना में अधिक अनुकूल लाभ प्राप्त हुए थे और उन्होंने 1952 की योजना का सदस्य बनने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी। हालाँकि, अधिकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (यहाँ प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाता) से संबंधित हैं।

यह बनाए रखा कि एक प्रतिष्ठान के कर्मचारी पात्र थे

1952 की योजना के सदस्यों के रूप में नामांकन, उम्र की परवाह किए बिना; और अपीलकर्ता कंपनी के कर्मचारियों को 1952 की योजना में परिभाषित "बहिष्कृत कर्मचारी" नहीं किया गया था।

3.4 . अपीलार्थी-कंपनी संबंधित कर्मचारियों के संबंध में अपेक्षित योगदान भेजने में विफल रही है, सक्षम

1952 के अधिनियम के तहत प्राधिकरण ने अपीलार्थियों से देय धन के निर्धारण के लिए इसकी धारा 7 ए के तहत कार्यवाही शुरू की। अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा, सक्षम प्राधिकारी ने अपीलकर्ताओं को सुनने के बाद, विभिन्न शीर्षों के तहत अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा देय राशि का निर्धारण करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिनिर्धारित किया कि 1952 के अधिनियम के प्रावधान जी. पी. एफ. योजना के प्रतिकूल नहीं थे; कि एक व्यक्ति दोगुनी या एकाधिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार था; और यह कि रेलवे से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उन्हें परिभाषा के भीतर नहीं ले जाएगी।

"बहिष्कृत कर्मचारियों" का। पीड़ित, अपीलकर्ताओं ने कलकत्ता में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को प्राथमिकता दी [डब्ल्यू. पी. संख्या 2982 (डब्ल्यू)] 2005 का]।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. दिनांक 07.04.2006 के विवादित आदेश में, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने, हालांकि यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम के लिए लागू था अपीलार्थियों की स्थापना लेकिन, उसके बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि सेवानिवृत्ति पर, रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी "बहिष्कृत कर्मचारियों" की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। विद्वान एकल न्यायाधीश

यह देखा गया कि एक कर्मचारी, जिसने अपनी पूरी राशि निकाल ली थी

निधि में संचय, अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त किसी भी प्रतिष्ठान के साथ पुनः रोजगार पर, फिर से अधिनियम के तहत आने वाले कर्मचारी के रूप में नहीं माना जाएगा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि अधिकारियों की दलीलों को स्वीकार करने से ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां एक कर्मचारी, किसी भी प्रतिष्ठान में कार्यरत होने और कुछ समय के लिए काम करने के बाद, स्वेच्छा से सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है और दूसरे प्रतिष्ठान में शामिल हो सकता है और क्रमिक रूप से ऐसा करता रह सकता है और 1952 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का लाभ प्राप्त कर सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, भले ही 1952 का अधिनियम सामाजिक लाभ का एक हिस्सा है कानून और इसके प्रावधानों का उद्देश्य उन कर्मचारियों की रक्षा करना है, जिन्हें समाज का कमजोर वर्ग माना जाता है, फिर भी, अधिनियम का उद्देश्य नियोक्ता की कीमत पर कर्मचारियों के पक्ष में उदारता पैदा करना नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश की राय में, रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोष का सदस्य बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और अन्यथा, 1952 की योजना में "बहिष्कृत कर्मचारी" अभिव्यक्ति के उद्देश्य और उद्देश्य को निरर्थक बना दिया जाएगा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जब कोई कर्मचारी रुपये से अधिक कमाता है। 6,500 / - 1952 की योजना के पैराग्राफ 2 (एफ) (ii) के अनुसार वेतन के पैमाने के कारण "बहिष्कृत कर्मचारी" के रूप में माना जाता था, इस बात का कोई कारण नहीं था कि पैराग्राफ 2 (एफ) (i) उस कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होगा जिसने अपनी जमा राशि की पूरी राशि निकाल ली थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि यह निर्णय लेने के लिए कि क्या अधिनियम के प्रावधान कुछ कर्मचारियों के संबंध में लागू नहीं होते हैं, 1952 की योजना के पैराग्राफ 2 (एफ) में निहित प्रावधानों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और एक योजना का लाभ लेने के बाद, कर्मचारी नियोक्ता को अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। इन टिप्पणियों के साथ, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को "बहिष्कृत कर्मचारियों" के रूप में मानने के बाद, लेकिन उन कर्मचारियों को ध्यान में रखने के बाद, जो स्वेच्छा से अधिनियम के तहत शामिल होने की मांग कर रहे थे, अपीलार्थियों द्वारा देय भविष्य निधि की राशि के पुनर्निर्धारण के लिए मामले को अधिकारियों को भेज दिया।

आधुनिक परिवहन परामर्श सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. सी. पी. एफ. कम. एन. आर. E.P.F.O। [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

5. विद्वान एकल न्यायाधीश, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा इस प्रकार पारित आदेश से व्यथित

कोष आयुक्त ने लेटर्स पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी जिस पर कलकत्ता में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा विवादित निर्णय और दिनांक 07.05.2008 के आदेश के माध्यम से विचार और अनुमति दी गई है।

5.1 . डिवीजन बेंच ने दिए गए अर्थ पर ध्यान दिया

1952 के अधिनियम में "निधि" और "योजना" के साथ-साथ 1952 की योजना के पैराग्राफ 2 (च) में "बहिष्कृत कर्मचारी" की परिभाषा भी दी गई है और रिट याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज कर दिया कि विचाराधीन कर्मचारियों को बहिष्कृत कर्मचारियों के रूप में माना जाना चाहिए।

" हम श्री सेनगुप्ता की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों द्वारा जी. पी. एफ. और पेंशन की प्राप्ति ऐसे होगी जैसे कि पैराग्राफ 69 (1) के तहत पूरा भुगतान प्राप्त हो गया हो। धारा 2 (एच) के तहत परिभाषित "निधि" शब्द में कोई जोड़ नहीं हो सकता है। यह भी स्वीकार करना संभव नहीं है कि चूंकि रेलवे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

सेवानिवृत्ति और 55 वर्ष की आयु से अधिक, वे "बहिष्कृत कर्मचारियों" के बराबर होंगे। किसी कर्मचारी के लिए कोष या योजना का सदस्य बनने के लिए अधिनियम या 1952 की योजना के किसी भी प्रावधान में कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। यह दावा किया जाता है कि "योजना" शब्द केवल तैयार की गई कर्मचारी भविष्य निधि योजना को संदर्भित करता है

धारा 5 के तहत। इसलिए "बहिष्कृत कर्मचारी" शब्द उस कर्मचारी से सह-संबंधित होना चाहिए जो अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत परिभाषित "निधि" का सदस्य था। ऐसा कर्मचारी एक "बहिष्कृत कर्मचारी" होगा जब उसके द्वारा 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्ति पर पूरी राशि निकाली गई है, यानी पैराग्राफ 69 (1) (ए) के संदर्भ में। प्रावधान स्पष्ट होने के कारण किसी अन्य व्याख्या को स्वीकार नहीं करता है। पैराग्राफ 69 (1) (सी) एक ऐसे कर्मचारी से संबंधित है जो अपने क्रेडिट की पूरी राशि निकालता है।

स्थायी रूप से भारत से प्रवास के तुरंत बाद

विदेश में बसने और विदेश में रोजगार लेने के लिए। हमारी राय में, श्री सेनगुप्ता द्वारा प्रस्तावित इन प्रावधानों का कोई विच्छेदन नहीं हो सकता है। पैराग्राफ 2 (एफ) (आई) के तहत एक सेवानिवृत्त कर्मचारी एक बहिष्कृत कर्मचारी होगा। पैराग्राफ 2 (एफ) (ii) के तहत एक कर्मचारी जो अन्यथा [2019] 5 एस. सी. आर. का हकदार है।

कोष का सदस्य बनना एक बहिष्कृत कर्मचारी बन जाता है क्योंकि वह निर्धारित न्यूनतम से अधिक कमा रहा है जो आवश्यक है।

एक कर्मचारी को योजना का सदस्य बनने के लिए। यह

प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भविष्य निधि अधिनियम का अंतर्निहित सिद्धांत उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो

ऐसे कर्मचारी जो अन्यथा बचत करने की स्थिति में नहीं होते उनके वेतन से कोई भी पैसा। पैराग्राफ 2 (एफ) (iv) फिर से

यह प्रावधान है कि एक प्रशिक्षु एक बहिष्कृत कर्मचारी होगा जब तक कि वह एक पूर्ण कर्मचारी नहीं बन जाता। एक ओर पैराग्राफ 2 (च) (i) और दूसरी ओर पैराग्राफ 2 (च) (ii) और (iv) के बीच गुणात्मक अंतर है। पैराग्राफ 2 (एफ) 1 (आई) केवल उन कर्मचारियों को अपवर्जन प्रदान करता है जिनके पास पहले से ही

2 (च) (ii) और (च) (iv) एक कर्मचारी एक बिंदु पर बहिष्कृत कर्मचारी हो सकता है और बाद के बिंदु पर नहीं भी हो सकता है। लेकिन फायदा अधिनियम की धारा 5 ए के तहत इन प्रावधानों का विस्तार किसी भी ऐसे कर्मचारी तक नहीं किया जा सकता है जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा प्रशासित निधि के पूर्व सदस्य नहीं हैं।

1952 की योजना के सदस्य। इसलिए, इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बहिष्कृत कर्मचारियों के रूप में नहीं माना जा सकता है। 1952 की योजना के पैराग्राफ 69 (1) (ए) और 26 के तहत। डर्न परिवहन परामर्श सेवाएँ पी. वी. टी. द्वारा बनाए गए कोष के बीच एक स्पष्ट अंतर है।

डी. वी. सी. पी. एफ. कम. एन. आर. E.P.F.O। [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

केंद्र सरकार और केंद्रीय बोर्ड द्वारा धारा 5 (1) (ए) के तहत प्रशासित किया जाता है और एक निजी नियोक्ता द्वारा बनाई गई निधि, जिसे धारा 17 (1) के तहत छूट दी गई है और धारा 17 (1 ए) और (बी) के तहत न्यासी मंडल द्वारा प्रशासित किया जाता है। वहाँ हो सकता है

दोनों प्रावधानों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। 5.2 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, डिवीजन बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि

अधिनियम और 1952 की योजना द्वारा कवर किया जाएगा। हम यह भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि चूंकि पैराग्राफ 2 (एफ) (i) और (ii) के तहत आने वाले कर्मचारी बहिष्कृत हैं, इसलिए जिन सभी कर्मचारियों ने किसी अन्य भविष्य निधि से पूरी राशि ली थी, उन्हें भी बहिष्कृत कर्मचारी माना जाना चाहिए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इस अपील की अनुमति देते हैं और

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश। नतीजतन, रिट याचिका डब्ल्यू. पी. संख्या 2982 (डब्ल्यू) की है

2005 बर्खास्त किया जाएगा। 6. उपरोक्त निर्णय को लागू करते हुए, विद्वान वकील

उनके भविष्य निधि से पूरी राशि निकाल ली जाए, तो उन्हें गुच्छेदार कर्मचारी नहीं माना जा सकता है। विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया किजिन सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को सेवा के दौरान योजना के तहत शामिल किया गया था, जिन्होंने सभी सेवानिवृत्ति सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट प्राप्त की थी

19] 5 एस सी आर।

पी. एफ. सहित लाभ, और जो सी. पी. जी. नियमों के तहत पेंशन भी प्राप्त कर रहे थे, वे "बहिष्कृत कर्मचारियों" की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे।

जैसा कि 1952 की योजना के अनुच्छेद 2 (च) के खंड (i) में निहित है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उसके पैराग्राफ 26 के अनुसार, 1952 की योजना बहिष्कृत कर्मचारियों के अलावा अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू होगी। और, पैराग्राफ 2 (एफ) (आई) के अनुसार, एक बहिष्कृत कर्मचारी वह है जिसने भविष्य निधि का सदस्य होने के नाते, पैराग्राफ 69 के उप-पैराग्राफ (1) के खंड (ए) या (सी) के तहत निधि में अपने संचय की पूरी राशि निकाल ली थी। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, वर्तमान मामले में संबंधित कर्मचारियों को "बहिष्कृत कर्मचारियों" के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारतीय के पास जमा अपने पी. एफ. को वापस ले लिया है।

सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँचने के बाद रेलवे। इसके अलावा,

विद्वान वकील के अनुसार, डिवीजन बेंच ने गलती की है 'निधि' और 'योजना' की परिभाषाओं की व्याख्या करना और अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत 'निधि' की परिभाषा को सीमित करते हुए यह अभिनिर्धारित करना कि

रेलवे से सेवानिवृत्त होने और जी. पी. एफ. के तहत लाभ प्राप्त करने के बाद

उक्त कर्मचारी "बहिष्कृत कर्मचारी" नहीं हैं क्योंकि उक्त नियोक्ता 1952 की योजना के अंतर्गत नहीं आता है।

7. इसके विपरीत, चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील

इस उद्देश्य के साथ-साथ 1952 के अधिनियम की व्यवस्था का भी उल्लेख किया है और विशेष रूप से प्रस्तुत किया है कि भविष्य निधि योजनाओं के दो अलग-अलग समूहों की परिकल्पना की गई हैः एक ओर योजना पर विचार किया गया है

अधिनियम की धारा 5,1952 की योजना वह योजना है; और दूसरी ओर, 1952 के अधिनियम की धारा 17 के तहत अनुमेय अन्य योजनाएं/योजनाएं हो सकती हैं। विद्वान वकील के अनुसार, भविष्य निधि योजनाओं में से एक द्वारा 1952 के अधिनियम के लिए संदर्भित कर्मचारी

' इस अधिनियम को मूल रूप से 04.03.1952 पर "कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952" (1952 का संख्या 19) के रूप में अधिनियमित किया गया था। इसका नाम बदलकर "कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952" कर दिया गया। और इसका नाम फिर से बदलकर वर्तमान में "कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952" कर दिया गया।

लिमिटेड। वी. सी. पी. एफ. कम. एन. आर. E.P.F.O। [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

निधि नियम है और आम तौर पर, ऐसे कर्मचारियों को 1952 की योजना के तहत इस अपवाद के साथ शामिल किया जाएगा कि जब कर्मचारी किसी अन्य योजना के तहत लाभ प्राप्त करते हैं तो इस तरह के कवरेज की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

योजना, जो 1952 की योजना के तहत उपलब्ध योजनाओं से कम नहीं है। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 1952 की योजना के ढांचे में, कर्मचारियों के केवल कुछ विशिष्ट वर्ग हैं

जैसा कि पैराग्राफ 2 (एफ) में परिभाषित किया गया है, "बहिष्कृत कर्मचारियों" के रूप में माना जाता है; और, पैराग्राफ 2 (एफ) के खंड (i) के अनुसार, केवल ऐसे कर्मचारी को बाहर रखा जाएगा जो पहले 1952 की योजना के तहत कोष का सदस्य था और जिसने उसके तहत सभी लाभ वापस ले लिए थे। विद्वान वकील के अनुसार, वर्तमान अपील गुणदोष से रहित है क्योंकि रेलवे कर्मचारी, जो 1952 की योजना के तहत शामिल नहीं थे, वे 1952 की योजना के पैराग्राफ 2 (एफ) के अनुसार "बहिष्कृत कर्मचारियों" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, भले ही उन्होंने किसी अन्य योजना के तहत बनाई गई किसी भी भविष्य निधि में अपने खाते में जमा राशि को निकाल लिया हो।

8. हमने प्रतिद्वंद्वी की दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है और लागू कानून के संदर्भ में मामले के रिकॉर्ड की जांच की है।

9. इस मामले में शामिल प्रश्न के निर्धारण के लिए, 1952 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के साथ-साथ उसके प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाई गई योजना यानी 1952 की योजना में प्रासंगिक शर्तों पर संक्षेप में ध्यान देना उचित होगा।

9.1 . पृष्ठभूमि पहलू यह था कि, अंशदायी भविष्य निधि की संस्था के लिए प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए

औद्योगिक श्रमिकों की वित्तीय सुरक्षा के उद्देश्य से, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश लागू किया

15.11.1951 से, जिसे बाद में 1952 के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इस प्रकार, अधिनियम में अंतर्निहित अवधारणा के लिए प्रावधान किया गया था

भविष्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य अंशदायी भविष्य निधि औद्योगिक श्रमिक। केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजना के अनुसार निपटाने के लिए एक कोष के निर्माण के लिए अधिनियम में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, अधिनियम में ऐसे अन्य भविष्य निधि को जारी रखने का भी प्रावधान है, जो संबंधित कर्मचारियों को समान या अधिक लाभप्रद शर्तों की पेशकश कर रहे हैं और कुशलता से काम कर रहे हैं।

9.1. 1 . 1952 के अधिनियम में, "कर्मचारी" अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया है

धारा 2 का ई (एफ) निम्नानुसार हैः

" (च) "कर्मचारी" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो मजदूरी के लिए नियोजित है।

एक प्रतिष्ठान के काम के साथ, और जिसे उसका वेतन मिलता है नियोक्ता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और इसमें कोई भी शामिल है

व्यक्ति,

-

(i) किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से या उसके संबंध में नियोजित

प्रतिष्ठान के स्थायी आदेशों के तहत; 9.1. 2 .

"छूट प्राप्त कर्मचारी" और "छूट प्राप्त मुक्ति" की अवधारणाओं को धारा 2 के खंड (एफ. एफ.) और (एफ. एफ. एफ.) में परिभाषित किया गया है।1952 का वर्ष निम्नानुसार हैः

" (च) "छूट प्राप्त कर्मचारी" से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है जिसके लिए -

(एफ. एफ. एफ.) "छूट प्राप्त प्रतिष्ठान" का अर्थ है - जिसके संबंध में धारा के तहत छूट दी गई है

17 सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन से

योजना या बीमा योजना, जैसा भी मामला हो, चाहे

इस तरह की छूट प्रतिष्ठान को दी गई है

या उसमें कार्यरत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए;

9.1. 3 . "निधि" पद को धारा के खंड (एच) में परिभाषित किया गया है।

1952 का अधिनियम निम्नानुसार हैः

" निधि "से निम्नानुसार स्थापित भविष्य निधि अभिप्रेत है -

“ (ज)

एक योजना; " 9.1. 4 . "योजना" पद का अर्थ है जिसके तहत व्यवस्था की गई है।

1952 के अधिनियम के 5 पर और धारा 2 के खंड (1) में परिभाषित किया गया है

:

" (1) " योजना "का अर्थ है कर्मचारी भविष्य निधि योजना।

धारा 5 के तहत तैयार किया गया; "आधुनिक परिवहन परामर्श सेवाएँ पी. वी. टी.। लिमिटेड। वी. सी. पी. एफ. कम. एन. आर. E.P.F.O। [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

9.1. 5 . 1952 के अधिनियम की धारा 5, जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना का प्रावधान करती है, 2 के तहत पढ़ती हैः

" 5. कर्मचारी भविष्य निधि योजना। - (1) द सेंट्रल

सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, रूपरेखा बना सकती है।

एक योजना जिसे कर्मचारी भविष्य निधि योजना कहा जाएगा

इस अधिनियम के तहत भविष्य निधि की स्थापना के लिए

कर्मचारियों या कर्मचारियों के किसी भी वर्ग के लिए और निर्दिष्ट करें

प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों का वर्ग जिसके लिए उक्त

योजना लागू होगी और जितनी जल्दी हो सके स्थापित की जाएगी।

योजना तैयार करने के बाद, तदनुसार एक कोष हो सकता है

इस अधिनियम और योजना के प्रावधानों के साथ।

(1(क) निधि केंद्र में निहित होगी और उसके द्वारा प्रशासित की जाएगी।

धारा 5 ए के तहत गठित बोर्ड।

(1 ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, एक योजना बनाई गई है। उप-धारा 1 के तहत सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान किया जा सकता है।

अनुसूची II में निर्दिष्ट

(2) उप-धारा 1 के तहत बनाई गई योजना में यह प्रावधान हो सकता है कि

इसके प्रावधानों में से कोई भी या तो संभावित रूप से प्रभावी होगा या पूर्वव्यापी रूप से ऐसी तिथि पर जो इस संबंध में निर्दिष्ट की जाए

योजना में "।

9.1. 6 . प्रश्न के प्रयोजन के लिए, 1952 के अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) और उप-धारा (1-ए), छूट देने के लिए उपयुक्त सरकार की शक्तियों से संबंधित और

इसके परिणाम पर निम्नलिखित रूप में भी ध्यान दिया जा सकता हैः

" 17. छूट देने की शक्ति-(1) उपयुक्त सरकार,

आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और इस तरह के अधीन

अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाने वाली शर्तें, छूट,

चाहे संभावित रूप से या पूर्वव्यापी रूप से, ऑपरेशन से

किसी भी योजना के सभी या किसी भी प्रावधान का -

2 मूल धारा 5 में संशोधनों के माध्यम से कई परिवर्तन किए गए हैं। वर्तमान उद्देश्य के लिए ध्यान देने योग्य प्रासंगिक संशोधन यह हैं कि 1953 के अधिनियम संख्या 37 द्वारा मूल धारा 5 को उप-धारा (1) के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था, योजना तैयार करने के तुरंत बाद निधि की स्थापना के लिए अभिव्यक्तियों को जोड़ा गया था, और उप-धारा (2) को भी जोड़ा गया था। इसके अलावा, 1963 के अधिनियम संख्या 28 द्वारा, धारा 5 की उप-धारा (1ए) (केंद्रीय बोर्ड में और उसके द्वारा निधि निहित करने और उसके प्रशासन का प्रावधान) को जोड़ा गया था। केन्द्रीय और राज्य बोर्डों और सह-संबंधित पहलुओं से संबंधित प्रावधानों को 1963 के उक्त अधिनियम संख्या 28 द्वारा धारा 5ए से 5ई के रूप में भी जोड़ा गया था, जिन्हें वर्तमान उद्देश्य [2019] 5 एस. सी. आर. के लिए प्रासंगिक नहीं होने के कारण विस्तारित करने की आवश्यकता नहीं है।

(क) कोई भी प्रतिष्ठान जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, यदि उपयुक्त सरकार की राय में, योगदान की दरों के संबंध में इसकी भविष्य निधि के नियम धारा 6 में निर्दिष्ट नियमों की तुलना में कम अनुकूल नहीं हैं और कर्मचारी अन्य भविष्य निधि लाभों का भी आनंद ले रहे हैं जो कुल मिलाकर इस अधिनियम या इसी तरह के किसी अन्य प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के संबंध में किसी योजना के तहत प्रदान किए गए लाभों की तुलना में कर्मचारियों के लिए कम अनुकूल नहीं हैं;

या

(ख) कोई भी प्रतिष्ठान यदि ऐसे प्रतिष्ठान के कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन या उपदान के रूप में लाभों का आनंद ले रहे हैं और उपयुक्त सरकार की राय है कि ऐसे लाभ, अलग से या संयुक्त रूप से, ऐसे कर्मचारियों के लिए इस अधिनियम या किसी समान चरित्र के किसी अन्य प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के संबंध में किसी योजना के तहत प्रदान किए गए लाभों से कम अनुकूल नहीं हैंः

बशर्ते कि ऐसी कोई छूट इसके बाद के अलावा नहीं दी जाएगी

केंद्रीय बोर्ड के साथ परामर्श जो इस तरह के

परामर्श योजना में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उपयुक्त सरकार को छूट पर अपने विचार भेजेगा।

(1 क) जहां किसी प्रतिष्ठान को उप-धारा (1) के खंड (क) के तहत छूट दी गई है, (क) धारा 6,7 क, 8 आ 14 ख केर प्रावधान, जतऽ धरि भऽ सकय, छूटप्राप्त प्रतिष्ठानक नियोक्ता पर एहन अन्य शर्तसभक अतिरिक्त लागू होयत जे एहिमे विनिर्दिष्ट कयल जाय।

ऐसी छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना, और जहां ऐसा नियोक्ता उक्त प्रावधानों या शर्तों या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता है, या उसका पालन करने में चूक करता है, तो वह धारा 14 के तहत दंडनीय होगा जैसे कि उक्त प्रतिष्ठान को उक्त खंड (ए) के तहत छूट नहीं दी गई थी।

(ख) नियोक्ता भविष्य निधि के प्रशासन के लिए न्यासी मंडल की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे - योजना में निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या; परिवहन सेवाएँ पी. वी. टी.

डी. वी. सी. पी. एफ. कम. एन. आर. E.P.F.O। [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

(घ) खंड (ख) के अधीन गठित न्यासी मंडल (i) योगदान दिखाने के लिए विस्तृत खाते बनाए रखें।

जमा किया गया, की गई निकासी और इस संबंध में उपार्जित ब्याज

प्रत्येक कर्मचारी का;

((ii) इस तरह के विवरणी को क्षेत्रीय भविष्य निधि में जमा करें। केंद्र सरकार के रूप में आयुक्त या कोई अन्य अधिकारी

समय-समय पर निर्देशित कर सकते हैं;

((iv) जहां आवश्यक हो, भविष्य निधि खाते का हस्तांतरण। कोई कर्मचारी; और

(v) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो इसमें निर्दिष्ट किए जा सकते हैं

योजना।

***

***

***

9.2 . अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देने के बाद

52 , प्रासंगिक प्रावधानों को समझना आवश्यक है।

1952 की योजना के उपबंध जिन्हें, जैसा कि देखा गया है, 1952 के अधिनियम की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया है।

9.2. 1 . यह ध्यान देने योग्य है कि "बहिष्कृत" की कोई परिभाषा नहीं है।

1952 के अधिनियम में "बाय"। वास्तव में, यह अभिव्यक्ति काम में आती है

कुछ कर्मचारियों को मजबूरी से हटाने के लिए

ई उद्देश्य 1952 की योजना के तहत बनाई गई निधि। इसलिए, यह अभिव्यक्ति

केवल 1952 की योजना में, उसके पैराग्राफ 2 के खंड (च) में,

देरः

" (च) "बहिष्कृत कर्मचारी" का अर्थ है

((i) एक कर्मचारी जो कोष का सदस्य रहा हो,

कोष में अपने संचय की पूरी राशि निकाल ली तहत

पैराग्राफ के उप-पैरा (1) के खंड (ए) या (सी) के

((ii) एक कर्मचारी जिसका उस समय का वेतन वह अन्यथा हकदार है। निधि का सदस्य बनने के लिए, पंद्रह हजार से अधिक

रुपये प्रति माह; 3

स्पष्टीकरण। —''वेतन' में महँगाई के साथ मूल मजदूरी भी शामिल है। भत्ता, प्रतिधारण भत्ता (यदि कोई हो) और नकद मूल्य

उस पर स्वीकार्य खाद्य रियायतें;

((iv) एक प्रशिक्षु। स्पष्टीकरण। एक प्रशिक्षु का अर्थ है एक व्यक्ति जो, के अनुसार

कारखाने पर लागू प्रमाणित स्थायी आदेशों के लिए या

प्रतिष्ठान, एक प्रशिक्षु है, या जिसे एक घोषित किया गया है

उपयुक्त सरकार; 9.2. 2 . 1952 की योजना के अनुच्छेद 26 में वर्गों को निर्दिष्ट किया गया है।

कोष में शामिल होने के लिए हकदार और आवश्यक लोग और साथ ही सह

एड पहलू। इस तथ्य को ध्यान में रखना उपयोगी होगा कि

"कोष", जैसा कि पैराग्राफ 26 में होता है, 19525 की योजना के तहत संवर्धित कोष को संदर्भित करता है। यह अनुच्छेद 26 इस प्रकार है:

" 26. में शामिल होने के लिए हकदार और आवश्यक कर्मचारियों के वर्ग

कोष।

लागू होता है, एक बहिष्कृत कर्मचारी के अलावा, हकदार होगा और उस दिन से निधि का सदस्य बनने की आवश्यकता है

यह अनुच्छेद ऐसे कारखाने या अन्य में लागू होता है।

एक कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान का कार्य जिसके लिए यह योजना एक बहिष्कृत कर्मचारी के अलावा अन्य भी लागू होता है

से निधि का सदस्य बनने का हकदार और आवश्यक

समय के सुसंगत बिंदु पर, उपखंड (ii) में आंकड़े 'पंद्रह हजार रुपये' के वर्तमान आंकड़ों के स्थान पर 'छह हजार और अनावश्यक रुपये' थे।-खंड (iii) और उसके स्पष्टीकरण को जी. एस. आर. 1467 द्वारा दिनांक

02.12.1960 के विपरीत हटा दिया गया था-इस "निधि" का "निजी भविष्य निधि" के साथ अंतर ध्यान देने योग्य है।

रैग्राफ (5), जहाँ एक छूट प्राप्त प्रतिष्ठान का संदर्भ दिया जाता है।

परिवहन परिवहन परामर्श सेवाएँ पी. वी. टी. डी. वी. सी. पी. एफ. कम. एन. आर. E.P.F.O। [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

जिस दिन यह अनुच्छेद ऐसे कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान में लागू होता है, यदि ऐसे लागू होने की तारीख को,

ऐसा कर्मचारी कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में या किसी अन्य कारखाने या प्रतिष्ठान के संबंध में रखी गई भविष्य निधि का अभिदाता है (जिसके लिए अधिनियम

लागू होता है) एक ही नियोक्ता के तहतः

बशर्ते कि जहां योजना अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट के आदेश की समाप्ति या रद्द होने पर किसी कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान पर लागू होती है, वहां प्रत्येक कर्मचारी जो छूट के अलावा निधि का सदस्य बन जाता और बना रहता, वह तुरंत निधि का सदस्य बन जाएगा। (2) इस अनुच्छेद के किसी कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान में लागू होने के बाद, उस काम या कारखाने या प्रतिष्ठान में या उसके संबंध में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी, एक बहिष्कृत कर्मचारी के अलावा, जो पहले से ही सदस्य नहीं बन चुका है, वह भी कारखाने या प्रतिष्ठान में शामिल होने की तारीख से निधि का सदस्य बनने का हकदार और अपेक्षित होगा।

योजना लागू होती है, ऐसा कर्मचारी नहीं रहने पर, वह उस तारीख से निधि का सदस्य बनने का हकदार और अपेक्षित होगा जब वह ऐसा कर्मचारी नहीं रहेगा। (4) एक कर्मचारी या कर्मचारियों के एक वर्ग के पुनर्निर्वाचन पर

अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 27 ए के तहत निधि में शामिल होने के लिए छूट या उस अनुच्छेद के तहत किसी आदेश की समाप्ति या रद्द होने पर, प्रत्येक कर्मचारी तुरंत सदस्य बन जाएगा।

वहाँ से।

(5) प्रत्येक कर्मचारी जो किसी छूट प्राप्त कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में बनाए गए निजी भविष्य निधि का सदस्य है और जो छूट के बिना निधि का सदस्य बना रहता और बना रहता, वह कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान जिसमें यह योजना लागू होती है, में शामिल होने पर तुरंत निधि का सदस्य बन जाएगा।

(6) इस अनुच्छेद में कुछ भी निहित होने के बावजूद सहायक भविष्य निधि [2019] 5 एस. सी. आर. के पद से नीचे का अधिकारी।

आयुक्त, लिखित में संयुक्त अनुरोध पर किसी भी

योजना लागू होती है और उसके नियोक्ता, ऐसे कर्मचारी को एक सदस्य या उसे पंद्रह हजार से अधिक का योगदान करने की अनुमति दें।

प्रति माह उसके वेतन के रुपये यदि वह पहले से ही सदस्य है

निधि और उसके बाद ऐसे कर्मचारी के लिए हकदार होगा

लाभ और निधि की शर्तों के अधीन होंगे,

बशर्ते कि नियोक्ता लिखित रूप में एक वचन देता है

इस संबंध में सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करना कर्मचारी "।

9.2. 3 . सभी प्रासंगिक प्रावधानों की समझ के लिए और

1952 के अनुच्छेद 69 के उप-अनुच्छेद (1) का संदर्भ भी प्रासंगिक है और वही है, जो इस पर लागू होता है।

समय का चींटी बिंदु, नीचे के रूप में देखा जा सकता हैः

" 69. ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें निधि में संचय होता है -

किसी सदस्य को देय। - (1) एक सदस्य पूर्ण राशि वापस ले सकता है।

कोष में उसके खाते में जमा राशि

(क) 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्ति पर

वर्षः

बशर्ते कि एक सदस्य, जिसकी आयु 55 वर्ष नहीं हुई हो

उसकी सेवा की समाप्ति के समय के वर्ष भी होंगे

यदि वह भुगतान से पहले 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो निधि अधिकृत हैः

(ख) स्थायी और पूर्ण अक्षमता के कारण सेवानिवृत्ति पर

द्वारा विधिवत प्रमाणित शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण काम के लिए

प्रतिष्ठान के चिकित्सा अधिकारी या जहाँ एक

एक पंजीकृत संस्थान द्वारा कोई नियमित चिकित्सा अधिकारी नहीं है।

प्रतिष्ठान द्वारा नामित चिकित्सा व्यवसायी;

(ग) स्थायी रूप से भारत से प्रवास करने से तुरंत पहले

विदेश में निपटान या विदेश में रोजगार लेने के लिए;

(घ) जनसमूह या व्यक्ति के मामले में सेवा की समाप्ति पर

छंटनी;

पैराग्राफ 69 और इसके उप-पैराग्राफ और खंडों में भी समय-समय पर कई उल्लेख किए गए हैं; हालाँकि, यहाँ पुनः प्रस्तुत की गई सामग्री अधिक या अधिक है।

वही प्रपत्र, जो वर्तमान मामले में लागू होता है।

परिवहन परिवहन परामर्श सेवाएँ पी. वी. टी. डी. वी. सी. पी. एफ. कम. एन. आर. E.P.F.O। [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

((घ) नियोक्ता और कर्मचारियों द्वारा पारस्परिक समझौते के तहत बनाई गई सेवानिवृत्ति की स्वैच्छिक योजना के तहत सेवा की समाप्ति पर, जो अन्य बातों के साथ-साथ खंड (ओ. ओ.) के उपखंड (ए) में निहित प्रावधानों के बावजूद निर्दिष्ट करता है - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 को छोड़कर

परिभाषा के दायरे से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

" छंटनी "ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए होगा

उद्देश्य को आपसी सहमति से छंटनी के रूप में माना जाए

पार्टियाँ;

(ई) निम्नलिखित में से किसी भी आकस्मिकता में, बशर्ते कि वास्तविक

भुगतान निरंतर भुगतान पूरा करने के बाद ही किया जाएगा। तत्काल पूर्ववर्ती दो महीने से कम की अवधि

जिस तारीख को कोई सदस्य आवेदन करता है

वापस लेनाः

(i) जहां कोई कारखाना या अन्य प्रतिष्ठान बंद है, लेकिन कुछ कर्मचारी जिन्हें हटा नहीं दिया गया है, उन्हें नियोक्ता द्वारा अन्य कारखाने या प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। अधिनियम;

((ख) जहाँ किसी सदस्य को किसी आच्छादित कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान से किसी अन्य कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरित किया जाता है जो अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन एक ही नियोक्ता के अधीन है; और

((ग) जहां किसी सदस्य को छुट्टी दे दी जाती है और उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत छंटनी का मुआवजा दिया जाता है।

1947) ; ”

10. आगे बढ़ने से पहले, हम पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दे सकते हैं, जो एन. के. जैन और अन्य के रूप में है। वी. सी. के. शाह और अन्य। : (1991) 2 एस. सी. सी. उक्त मामले का प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलू यह था कि विचाराधीन प्रलोभन अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित थालेकिन धारा 17 के तहत छूट दी गई थी; और भविष्य निधि योगदान के संबंध में इसका अपना विश्वास था। हालांकि, प्रतिष्ठान वर्ष 1974 के दौरान कुछ अवधि के लिए योगदान बढ़ाने में विफल रहा और वहां चूक हुई। सवाल यह था कि क्या इस तरह के चूक में छूट भी शामिल होगी, या केवल छूट को रद्द किया जाना था?

एक अलग तथ्य स्थिति और विभिन्न विवाद से संबंधित होने के कारण वर्तमान मामले पर सीधा असर नहीं पड़ता है, लेकिन अधिनियम और 1952 की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाली अदालत की टिप्पणियों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

" 7. अधिनियम के उपरोक्त निकाले गए प्रावधानों के अवलोकन पर वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक सीमा तक निम्नलिखित पहलुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। किसी प्रतिष्ठान के प्रबंधन को भविष्य निधि में और सरकार को इसके तहत योगदान देना होता है।

धारा 5 कर्मचारी भविष्य निधि नामक एक योजना बना सकती है। निधि योजना और ऐसी योजना वर्ष 1952 में बनाई गई थी।

इस योजना में अधिनियम के तहत निर्दिष्ट प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना का प्रावधान है। धारा 6 सामग्री प्रावधान है और उन योगदानों से संबंधित है जो योजना के तहत प्रदान किए जा सकते हैं और यह भी निर्धारित करता है कि कोष में योगदान की दर और कर्मचारियों का योगदान नियोक्ता द्वारा देय योगदान के बराबर होना चाहिए। धारा 14 जुर्माने से संबंधित है और धारा 14 (1-ए) में कहा गया है कि एक नियोक्ता जो नियमों का उल्लंघन करता है या उनका पालन करने में चूक करता है।

धारा 6 के प्रावधान एक अवधि के कारावास से दंडनीय होंगे जो छह महीने तक बढ़ सकता है लेकिन भुगतान में चूक के मामले में तीन महीने से कम नहीं होगा।

कर्मचारियों का योगदान जिसमें कटौती की गई है

कर्मचारियों के वेतन से नियोक्ता। लेकिन पर्याप्त कारणों से यह कम हो सकता है। योजना के पैराग्राफ 76 में निधि में इस तरह के योगदान का भुगतान करने में विफलता के लिए सजा का भी प्रावधान है। फिर हमारे पास धारा 17 है जो छूट प्रदान करती है। उक्त धारा के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा

अधिसूचना और ऐसी शर्तों के अधीन, जो हो सकती हैं

अधिसूचना में निर्दिष्ट, किसी भी योजना (वर्तमान मामले में 1952 योजना) के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन से छूट यदि उपयुक्त सरकार संतुष्ट है कि भविष्य निधि के नियम जो एक विशेष

प्रतिष्ठान में योगदान के मामले में निम्नलिखित है

भविष्य निधि निर्दिष्ट राशि की तुलना में कम अनुकूल नहीं है।

धारा 6 में कहा गया है कि कर्मचारी अन्य भविष्य निधि लाभों का भी आनंद ले रहे हैं। दूसरे शब्दों में छूट

योजना के संचालन से प्रदान किया जाता है बशर्ते आधुनिक परिवहन परामर्श सेवाएँ पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. सी. पी. एफ. कम. एन. आर. E.P.F.O। [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

विशेष प्रतिष्ठान निधि में योगदान को नियंत्रित करने वाले अपने नियमों के अनुसार योगदान करता है, जिसे दूसरे शब्दों में, अपनी खुद की भविष्य निधि योजना कहा जा सकता है

धारा 6 में निर्दिष्ट लोगों की तुलना में कम अनुकूल नहीं।

तदनुसार छूट प्राप्त प्रतिष्ठान को अपने कर्मचारियों को ऐसे लाभ प्रदान करने होंगे जो किसी भी तरह से कम अनुकूल न हों।

अधिनियम और योजना के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों की तुलना में।

10.1 . उक्त मामले में, इस न्यायालय ने अंत में निर्णय दिया कि एक छूट प्राप्त प्रतिष्ठान द्वारा भविष्य निधि में योगदान करने में विफलता अपने स्वयं के नियमों के अनुसार निधि 1952 के अधिनियम की धारा 14 की उप-धाराओं (1-ए) और (2-ए) के तहत दंड भी आकर्षित कर सकती है।

11. 1952 के अधिनियम की योजना और संरचना में, यह स्पष्ट है कि निर्दिष्ट प्रतिष्ठानों या प्रतिष्ठानों के वर्ग के लिए, केंद्र सरकार को एक योजना तैयार करनी थी, जिसे "कर्मचारी भविष्य निधि योजना" कहा जाएगा और ऐसी योजना तैयार करने के तुरंत बाद, एक निधि की स्थापना की जानी थी, जिसे धारा 5 ए के तहत गठित बोर्ड द्वारा निहित और प्रशासित किया जाना था। जैसा कि देखा गया है, 1952 के अधिनियम में "निधि" शब्द का अर्थ एक योजना के तहत स्थापित भविष्य निधि है और "योजना" शब्द का अर्थ धारा के तहत बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि योजना है।

5. निर्विवाद रूप से, 1952 की योजना केंद्र सरकार द्वारा धारा 5 आई. बी. आई. डी. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाई गई है। हम 1952 की योजना के प्रावधानों की थोड़ी देर बाद जांच करेंगे। इस मोड़ पर, छूट से संबंधित प्रावधानों से उत्पन्न 1952 के अधिनियम की एक अन्य विशेषता पर ध्यान देना उचित होगा, जैसा कि इसकी धारा 17 में निहित है।

12. धारा 17 की उप-धारा (1) के आधार पर, एक प्रतिष्ठान को सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन से छूट दी जा सकती है -

कोई भी योजना यदिः (क) जिस प्रतिष्ठान पर अधिनियम लागू होता है, उसके संबंध में उपयुक्त सरकार की राय है कि उसके प्रोविडेंट के नियम

कोष, अंशदान की दरों के संबंध में, धारा 6 में निर्दिष्ट की तुलना में कर्मचारियों के लिए कम अनुकूल नहीं है और कर्मचारी अन्य भविष्य निधि लाभों का आनंद ले रहे हैं, जो कुल मिलाकर, अधिनियम के तहत या समान चरित्र के किसी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में योजना के तहत उपलब्ध लाभों से कम अनुकूल नहीं हैं; और (बी) किसी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में, उपयुक्त सरकार की राय है कि भविष्य निधि, पेंशन या [2019] 5 एस. सी. आर. की प्रकृति के लाभ।

ऐसे प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध उपदान, कुल मिलाकर, अधिनियम या किसी समान चरित्र के किसी अन्य प्रतिष्ठान में किसी भी योजना के तहत प्रदान किए गए लाभों से कम अनुकूल नहीं है। 12.1 . जब 1952 के अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत किसी प्रतिष्ठान को छूट दी जाती है, तो उप-धारा (1-ए) में निर्दिष्ट नियोक्ता पर कई कर्तव्य लगाए जाते हैं।

चूक की स्थिति में दंडात्मक प्रावधानों के साथ। हमें धारा 17 में निहित विभिन्न अन्य प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान उद्देश्य के लिए ध्यान देने के लिए पर्याप्त होगा कि कर्मचारियों का कवरेज जैसे

अपीलार्थियों की स्थापना में लगा हुआ एक नियम है; और आम तौर पर, कर्मचारियों से उम्मीद की जाती है कि वे निम्नलिखित योजना के अंतर्गत आते हैं।

1952 के अधिनियम की धारा 5 इस अपवाद के साथ कि किसी प्रतिष्ठान में समकक्ष या अधिक अनुकूल लाभों की उपलब्धता के मामले में, उपयुक्त सरकार छूट दे सकती है। धारा 17 की उप-धारा (2) के अनुसार, योजना भी छूट का प्रावधान कर सकती है, लेकिन मूल आवश्यकता यह है कि छूट पाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग ऐसे लाभों के हकदार हैं, जो इस प्रकार हैं -

कुल मिलाकर, अधिनियम और उसके तहत योजना यानी 19527 की योजना के तहत प्रदान किए गए लाभों से कम अनुकूल नहीं। धारा 17 की सभी आवश्यकताएं निस्संदेह स्थिति को स्पष्ट करती हैं कि प्रावधानों का उद्देश्य कर्मचारियों के लिए इष्टतम लाभ सुनिश्चित करना है और यहां तक कि छूट केवल संबंधित कर्मचारियों के लिए समकक्ष या अधिक अनुकूल भविष्य निधि योजना के अस्तित्व के बारे में उपयुक्त सरकार की संतुष्टि पर दी जाती है।

13. 1952 की योजना केंद्र सरकार द्वारा 1952 के अधिनियम के अधिनियमन के 6 महीने के भीतर 02.09.1952 पर तैयार की गई थी। योजना के प्रावधान आम तौर पर अधिनियम की धारा 16 और 17 के प्रावधानों के अधीन, उन सभी कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू किए जाते हैं जिन पर अधिनियम लागू होता है या उप-अधिनियम के तहत लागू होता है।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग भविष्य निधि, उपदान या वृद्धावस्था पेंशन की प्रकृति में लाभों का हकदार है और ऐसे लाभ, अलग से या संयुक्त रूप से, इस अधिनियम या योजना के तहत प्रदान किए गए लाभों से कम अनुकूल नहीं हैं, तो कोई भी योजना किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को योजना के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन से छूट देने का प्रावधान कर सकती है। बशर्ते कि व्यक्तियों के किसी वर्ग के संबंध में ऐसी कोई छूट तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उपयुक्त सरकार की राय न हो कि ऐसे वर्ग का गठन करने वाले अधिकांश व्यक्ति ऐसे लाभों के हकदार बने रहना चाहते हैं।

आधुनिक परिवहन परामर्श सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. सी. पी. एफ. कम. एन. आर. E.P.F.O। [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

धारा 1 की धारा (3) और (4) या अधिनियम की धारा 3 के तहत। 1952 की योजना के प्रावधानों का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है।

उप-अनुच्छेद (3) के खंड (बी) के तहत समय-समय पर प्रतिष्ठान

" बहिष्कृत कर्मचारी "। महत्वपूर्ण रूप से, एक "बहिष्कृत कर्मचारी" भी, ऐसा होना बंद करने पर, यानी "बहिष्कृत कर्मचारी" होना बंद करने पर, निधि का सदस्य बनने का हकदार है, और इसकी आवश्यकता है। इस तरह की समाप्ति।

13.1. 1952 की योजना के ढांचे में, उसके अनुच्छेद 2 (च) के खंड (i) के तहत एक ऐसे कर्मचारी को अपवर्जन प्रदान किया गया है जो निधि का सदस्य रहा हो और जिसने अपनी जमा राशि की पूरी राशि निकाल ली हो। परिच्छेद 69 (1) के खंड (क) या (ग) के अधीन निधि में। अब, 1952 की योजना के उक्त अनुच्छेद 69 (1) का खंड (ए) एक सदस्य को संदर्भित करता है।

जो 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने पर निधि में अपने खाते में जमा पूरी राशि निकाल लेगा। खंड (ग) वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह उस सदस्य से संबंधित है जो स्थायी रूप से भारत से प्रवास करने से पहले राशि निकालता है।

निपटान या विदेश में रोजगार लेना, लेकिन फिर, पैराग्राफ 69 (1) के विभिन्न खंडों पर एक व्यापक नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें एक सदस्य का उल्लेख है जो नियमित सेवानिवृत्ति, अक्षमता या अक्षमता के लिए सेवानिवृत्ति, देश से पलायन, देश की समाप्ति जैसी विभिन्न स्थितियों के लिए अपने खाते से पूरी राशि निकालता है।

सेवा; स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना स्वीकार करना; कारखाने को बंद करना; एक कवर किए गए कारखाने या प्रतिष्ठान से किसी अन्य कारखाने या प्रतिष्ठान में स्थानांतरण जो अधिनियम के तहत नहीं आता है आदि।

14. इस मामले में यह बहुत बहस का विषय नहीं है कि अपीलार्थी अन्यथा अधिनियम के तहत "नियोक्ता" के विवरण का जवाब देते हैं।

1952 और उनके प्रतिष्ठान को इसके तहत शामिल किया गया है। अपीलार्थियों की ओर से इस मामले में आग्रह किया गया मूल तर्क यह है कि उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति रेलवे के कर्मचारियों के रूप में काम करते हुए सामान्य भविष्य निधि के सदस्य थे और उन्होंने इस राशि की पूरी राशि निकाल ली थी।

जी. पी. एफ. में संचय और इसलिए, उन्हें "बहिष्कृत कर्मचारियों" के रूप में माना जाना चाहिए। इस विवाद में बुनियादी कमियां हैं जैसा कि बुनियादी ढांचे में बताया गया है।

19] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1952 की योजना और जिसने 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्ति पर उक्त निधि में अपनी जमा राशि की पूरी राशि निकाल ली थी। वर्षों से।

14.2 . उपरोक्त स्पष्ट व्याख्या पर, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी, जिन्होंने अपनी नौकरी वापस ले ली थी।

सामान्य भविष्य निधि या किसी अन्य निधि में संचय, जिसके वे सदस्य थे, को 1952 की योजना के उद्देश्य के लिए "बहिष्कृत कर्मचारी" के रूप में नहीं माना जा सकता था, क्योंकि

निकासी योजना के तहत स्थापित निधि से नहीं की गई थी 1952 में। वास्तव में, उनके लिए 1952 की योजना के तहत स्थापित निधि से कोई निकासी करने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि वे कभी भी उक्त निधि के सदस्य नहीं थे। दूसरे शब्दों में, विचाराधीन कर्मचारी के खंड (i) की आवश्यकताओं का उत्तर नहीं दे रहे थे

1952 की योजना के अनुच्छेद 69 (1) के खंड (ए) के साथ पठित अनुच्छेद 2 (एफ) और इसलिए, "बहिष्कृत कर्मचारी" नहीं थे। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलार्थियों के इस तर्क को सही ढंग से खारिज कर दिया है कि प्रत्येक कर्मचारी, जिसने किसी भी भविष्य निधि आधुनिक परिवहन सेवा से पूरी राशि निकाली थी।

लिमिटेड। वी. सी. पी. एफ. कम. एन. आर. E.P.F.O। [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

कोष को "बहिष्कृत कर्मचारी" के रूप में माना जाना चाहिए। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिया गया जवाब कानून के अनुरूप है और अनुमोदन के योग्य है। 15. हम कुछ सहायक पहलुओं पर भी ध्यान दे सकते हैं और उनसे निपट सकते हैं। अपीलार्थी, के कवरेज के प्रस्ताव पर अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रिया में

1952 की योजना के तहत विचाराधीन कर्मचारियों ने यह बताने का प्रयास किया कि उक्त कर्मचारियों में से अधिकांश की आयु 58 वर्ष से अधिक थी और उन्होंने उक्त योजना के तहत कोष में शामिल होने के लिए अनिच्छा व्यक्त की थी। यदि संबंधित कर्मचारी हैं तो यह अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। स्पष्ट रूप से अनिच्छा की ऐसी कोई अभिव्यक्ति की। अन्यथा भी, जैसा कि देखा गया है, अधिनियम के प्रावधान और 1952 की योजना की शर्तें अनिवार्य हैं और अपीलकर्ताओं या उक्त कर्मचारियों द्वारा इसके आवेदन को टाला नहीं जा सकता था सिवाय इसके कि -

अधिनियम की धारा 17 और 1952 की योजना के अनुच्छेद 26 में उल्लिखित कुछ घटनाएँ। इस तरह की संभावनाएं वास्तव में वर्तमान मामले में गैर-मौजूद। अब तक आयु से संबंधित पहलू है -

संबंधित, अधिनियम और 1952 की योजना का संचालन और प्रभाव कर्मचारी की किसी भी आयु सीमा के संदर्भ में प्रतिबंधित नहीं है। कर्मचारियों की उम्र से संबंधित इस तरह का सुझाव पूरी तरह से निराधार था और इसे अस्वीकार कर दिया गया है।

15.1 . उपरोक्त के अलावा, अपीलकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने छूट के लिए आवेदन किया था और उन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

प्रतिनिधित्व। इस संबंध में, यह देखा गया है कि अपीलार्थी ने ऐसा कोई निवेदन नहीं किया था कि उनके पास अपने कर्मचारियों के लिए कोई बेहतर और लाभकारी योजना थी। किसी भी मामले में, नियोक्ता द्वारा योगदान के भुगतान में किसी भी अवकाश की कोई अवधारणा नहीं है।

छूट के लिए आवेदन; और जब छूट का कोई आदेश नहीं था सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 17 के तहत, अपीलार्थी-कंपनी थी

अपने योगदान का भुगतान करने के दायित्व के तहत।

16. निष्कर्ष निकालने से पहले, हम यह भी इंगित कर सकते हैं कि इस मामले में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश की टिप्पणियाँ, वह खंड (i) 1952 की योजना के पैराग्राफ 2 (एफ) को किसी भी भविष्य निधि से निकासी के संबंध में लागू किया जाना है और अन्यथा, एक कर्मचारी कर सकता है

लगातार लाभ प्राप्त करते रहें, बल्कि अनुचित रहें क्योंकि अधिनियम और 1952 की योजना में अंतर्निहित सिद्धांत कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। 1952 की योजना से अपवर्जन की अवधारणा केवल पैराग्राफ 2 (एफ) में उल्लिखित कर्मचारियों के वर्ग/ईएस तक सीमित है; और इस अपवर्जन खंड [2019] 5 एस. सी. आर. के संचालन का क्षेत्र।

एक कर्मचारी द्वारा कथित अतिरिक्त लाभ को घर ले जाने की संभावना के बारे में एक धारणा के माध्यम से विस्तार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, विद्वान एकल न्यायाधीश की धारणा भी अधिनियम और 1952 की योजना के ढांचे में उपयुक्त नहीं लगती है। 1952 के अधिनियम के आधार पर एक कर्मचारी को जो कुछ भी मिलता है, वह मूल रूप से उसके भविष्य निधि खाते में जमा होता है, जिसमें वह और उसका नियोक्ता योगदान करते हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस हद तक टिप्पणी की थी कि जब कर्मचारी विशेष राशि से अधिक कमाते हैं (रु। 6,500 / - 1952 की योजना के पैराग्राफ 2 (एफ) के खंड (ii) के तहत प्रति माह प्रासंगिक समय पर) को बाहर रखा गया था, जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपना संचय प्राप्त किया था, उन्हें भी पैराग्राफ 2 (एफ) के खंड (i) के तहत बाहर रखा जा सकता था। इस संबंध में, हम इन टिप्पणियों में कोई तर्क खोजने में असमर्थ हैं क्योंकि पैराग्राफ 2 (एफ) के खंड (ii) में शर्त कर्मचारियों के एक पूरी तरह से अलग वर्ग से संबंधित है जो उनके वेतन की मात्रा के संदर्भ में है।

और खंड (ii) के अनुसार कर्मचारियों के ऐसे वर्ग के बहिष्कार का कारण नहीं बन सकता है।

17. संक्षेप में, 1952 की योजना की रूपरेखा और स्थापना में, अवधारणा स्पष्ट और स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति 1952 की योजना के तहत उसके तहत बनाई गई निधि का सदस्य है और उसमें अपनी सारी जमा राशि निकालता है, तो वह 1952 की योजना के तहत फिर से उसी निधि का सदस्य होने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है और उसे "बहिष्कृत कर्मचारी" के रूप में माना जा सकता है। हालांकि, ऐसे कर्मचारी के संबंध में दी गई छूट नहीं है जो पहले किसी अन्य कोष का सदस्य था, लेकिन बाद में ऐसे प्रतिष्ठान में शामिल हो जाता है जहां वह 1952 की योजना के तहत बनाए गए कोष की सदस्यता का हकदार होगा। यह प्रावधानों और शर्तों का ढांचा सबसे अच्छा प्रतीत होता है

कर्मचारियों का हित, उन्हें निरंतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हुए। इसलिए, हमें इस मामले में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग कोई कारण नहीं मिलता है।

18. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए यह अपील विफल हो जाती है और इसलिए खारिज कर दी जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी